न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 27/2008

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मानसिंह पुत्र मीठु		1. मेवाराम पुत्र खुमाराम जाति औड निवासी सुभाष नगर, 'बी' पाली
2. सुनील पुत्र मीठु		2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली
3. महेन्द्र पुत्र मीठु		
4. प्रकाश पुत्र मीठु		
5. कैलाश पुत्र मीठु		
6. श्रीमती कुर्जा पत्नी मीठु जातिगण औड़ निवासीगण सुभाष नगर 'बी', पाली		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री सुरेशचन्द्र सुरणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 24-12-18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2016 मेवाराम बनाम मानसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2008 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) सपठित नियम 20 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी का अपीलाण्ट के पक्ष में हुए आवंटन/नियमन को अपास्त कराने का निवेदन किया। जिसमें मुख्य आधार संयुक्त रूप से आवंटन, मानसिंह कृषि कार्य नहीं करने बल्कि ग्रेनाईट खनन कार्य करने से उद्योगपति होने, लगातार कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पेराफेरी में आने, पूर्व कब्जाधारी सोनाजी पुत्र रणजीत ओड, अप्रार्थी के पिता/पति नहीं होने, राजनैतिक दबाव प्रभाव से आवंटन नियमन करने आदि आधारों पर निरस्त कराने का निवेदन किया। उक्त अपील में अप्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

/अपीलाण्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की पैतृक कब्जा काश्त सुदा भूमि होने एवं लगातार कब्जा काश्त होने, अप्रार्थी मानसिंह काश्तकार होने से उक्त आवंटन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.09.2001 की पालना में प्रक्रिया अनुसार जांच कर किया गया है। अपीलाण्ट के परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत ही कृषि कार्य है। अतः रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट के पक्ष में किए गए आवंटन को राजनैतिक दवाब प्रभाव के तहत आवेदन पेश कर आवंटन निरस्त करवाया गा है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कांग्रेसी नेता है तथा अपीलाण्ट से वैमनस्य रखते हुए दुर्भावना के चलते विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए तकनीकि रूप से आवेदन प्रस्तुत कर चचेर भाईयों एवं चाची को नुकशान पहुॅचानें की नियत से आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जैर अपील विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से ही अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त है। जैर अपील विवादित आराजी पूर्व में सामूहिक कृषि सहकारी समिति की भूमि थी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1033/97 में दिनांक 05.03.1999 को निर्णय पारित करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमणधारी व्यक्तियों को नियमन के रूप में आवंटित की जावे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अतिक्रमियों को आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा नोटिस जारी किये गए। अपीलाण्ट को उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा नोटिस मय आवंटन प्रपत्र आदि प्रेषित किए गए एवं विहित प्रारूप में आवेदन पुनः पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में अपीलाण्ट्स द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। उक्त योजना के तहत दिनांक 15.07.1994 को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा का सबूत चाहा गया एवं कब्जे की जांच की गई। इस पर पटवारी हल्का, भू0अ0नि0 एवं तहसीलदार पाली द्वारा कब्जा अनुमोदित किया जाकर रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी पाली के समक्ष प्रस्तुत की। इसके पश्चात आवंटन/ नियमन की अनुशंषा करने पर उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा अपीलाण्ट्स के पक्ष में जैर अपील विवादित आराजी का आवंटन/नियमन किया गया। आवंटन हेतु दिनांक 15.07.1994 के पश्चात कब्जा पर्याप्त था। परन्तु आवंटन आदेश में ही दिनांक 01.07.1994 के पूर्व से कब्जा होने का कथन वर्णित है। आवंटन आदेश से ही स्पष्ट है कि 3 वर्ष के समाप्ति पर उक्त खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलाण्ट द्वारा आवंटन आदेशों की पूर्णतः पालना की गई है। इसलिए 3 वर्ष पश्चात स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का मुख्य आधार मानसिंह द्वारा ही आवंटन करने के बावजूद आवंटन आदेश के अन्य नाम नहीं लिखे जा सकते। इसलिए आवंटन अवैद्य होना बताया। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट के पक्ष में जो आवंटन किया गया है, वह विधिक प्रावधानों की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करते हुए किया गया है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 (सप्ली.) 2006–07 पेज 122, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 82, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 157, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 972, आर0आर0डी0 1997 पेज 195, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 559, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1194, आर0आर0टी0 2007(2) पेज 1433, आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 397 तथा आर0आर0डी0 1993 पेज 801 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट्स की ओर से नियम 14 (4) सपठित नियम 20 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन अपीलाण्ट को दिनांक 20.12.2004 को ग्राम इन्द्रानगर के खसरा नम्बर 574, 583, 594/1 रकबा 24 बीघा को किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त कराने हेतु पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट को आवंटन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 47 दिनांक 15.09.2001 की पालना में किया गया है, जिस अनुसार दिनांक 15.07.1994 से लगातार आवंटित रकबे पर अतिक्रमण होना आवश्यक है एवं अगर लगातार अतिक्रमण दर्ज नहीं है, तो आवंटन नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट्स को आवंटित की गई भूमि 3 अलग अलग खसरा नम्बरान् की भूमि है। चूंकि वर्ष 1994 में सम्वत् 2050–51 आता है। सम्वत् 2050–52 मे केवल खसरा नम्बर 583 के 8 बीघा भूमि पर ही अपीलाण्ट का अतिक्रमण दर्शित है। प्रथमतः तो सोनाराम अपीलाण्ट के न तो पिता/पति है, न ही सोनाजी के तमाम वारिशों को भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा चूंकि 3 खसरों की भूमि को आवंटित किया गया है, शेष 2 खसरों के बात उक्त 3 वर्षों में कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण दर्ज नहीं है, न ही उक्त तीनों वर्ष अकाल वर्ष थे, इसलिए बाकी दोनों खसरा नम्बर 574 व 594/1 की भूमि किसी भी रूप से आवंटन योग्य नहीं थी, फिर भी आवंटन किया गया है, इस कारण से आवंटन प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। उपरोक्त तीनों वर्षो में तीनों खसरा नम्बरान् की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। केवल खसरा नम्बर 583 पर ही अतिक्रमण है। इसके अलावा सम्वत् 2053 व 2054 में 2 वर्षों में अतिक्रमण अपीलाण्ट संख्या 6 का दर्शाया गया है। सम्वत् 2055 पर अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया है। सम्वत् 2056 में खसरा नम्बर 571 व 594 पर ही अतिक्रमण दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 583 में भी कोई अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया है। सम्वत् 2057 में भी खसरा नम्बर 583 में कोई अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया है। सम्वत् 2058, 2059, 2060, 2061 में भी इसी खसरों पर अपीलाण्ट्स का कोई अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार से अतिक्रमण की सूची को देखा जाए तो स्पष्टतः साबित है कि अपीलाण्ट का कब्जा कभी भी नियमित रूप से 15.07.1994

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से लगातार सन् 2004 तक नहीं रहा है, इसलिए किसी भी सूरत में उपरोक्त आवंटन की पात्रता अपीलाण्ट्स नहीं रखता था, किन्तु नियमों को ताक पर रखकर राज्य सरकार की अधिसूचना को ताक पर रखकर केवल राजनैतिक दबाव से फायदा पहुंचाने की नियत से उपरोक्त आवंटन आदेश पारित किया है, जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट काश्तकार भी नहीं है, न ही इनका काश्त पेश है, बल्कि अपीलाण्ट मानसिंह के ग्रेनाईट की खान ग्राम खारडा में एम0एल0 1/2000 है एवं उपरोक्त खान पर ही पूरा परिवार कार्य करता है, इसलिए सद्भावी कृषक भी नहीं हैं, इस कारण भी उपरोक्त आवंटन करवाने का मानसिंह अधिकारी नहीं है। आंवटन हेतु अपीलाण्ट मानसिंह द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें मानसिंह ने स्वयं को सद्भावी कृषक होना बताया है एवं प्रार्थना पत्र भी मात्र मानसिंह द्वारा ही दिया गया है, जबकि नियमन 6 व्यक्तियों को सामलात रूप से किया गया है, जो भी नियमों के विपरित है। प्रार्थना पत्र भी विधिनुसार तस्दीकशुदा नहीं है। आवंटित आदेश बडे रकबे में से पारित किया गया है। खसरा नम्बर 574, 583, 594 बडे रकबे है एवं उसमें से पारित किया गया है, जो कि राज्य सरकार के परिपत्रों के विरूद्ध है। अपीलाण्ट चयनित परिवार के सदस्य नहीं है, इस कारण से एक हैक्टेयर से अधिक रकबे का विखण्डन कर कोई भी आवंटन अथवा नियमन राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार नहीं किया जा सकता था, इस कारण भी आवंअन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त भूमि नगर परिषद् की पैरा फैरी में आती है, तो नियम 4 के तहत प्रतिबन्धित है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त भूमि के सम्बन्ध में न तो उद्घोषणा जारी की गई एवं न ही प्रोक्लेमशन जारी किया गया एवं न विधि अनुसार इश्तिहार जारी किए गए अर्थात 1970 के कृषि भूमि आवंटन नियमों का मखौल उड़ाते हुए आवंटन अधिकारी ने उपरोक्त आवंटन किया है, जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट सम्पूर्ण रूप से एक ईकाई के रूप में ही है एवं उक्त आवंटन लगातार दिनांक 15.07.1994 से कब्जा होने के आधार पर नियमन के रूप में किया गया है, जो नियमन की तारीफ में ही नहीं आता है। इसलिए 15 बीघा से अधिक भूमि का नियमन किसी भी रूप में अपीलाण्ट के हक में नहीं किया जा सकता है। आवंटन तो खसरा नम्बर 574 रकबा 5 बीघा का किया है, जबकि राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद खसरा नम्बर 574/23 के रूप में दर्ज किया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 583 के स्थान पर जमाबन्दी में खसरा नम्बर 583/7 दर्ज किया गया है एवं खसरा नम्बर 594/1 की जगह खसरा नम्बर 594/23 दर्ज किया गया है, इस कारण भी आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। आवंटन के 10 वर्षो तक भूमि के गैर खातेदारी अधिकारी आंवटी को दिये जाते है एवं गैर खातेदारी अवधि में भूमि किसी भी रूप से हस्तान्तरण योग्य नहीं रहती है। उक्त अवधि के दौरान न तो भूमि का बेचान किया जा सकता है एवं न ही किसी भी रूप में हस्तान्तरण किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो आवंटन नियमों का स्पष्टतः उल्लंघन है। अपीलाण्ट ने दिनांक 07.04.2006 को इकरारनामें के जरिये उक्त भूमि को अशोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मेडतिया नामक व्यक्ति के पक्ष में विक्रय इकरारनामा निष्पादित किया है, जो आवंटन शर्तों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। आवंटन नियम 1970 के अनुसार न तो उनका लगातार कब्जा काश्त है एवं न ही आवंटन शर्तों की पालना अपीलाण्ट द्वारा की गई है तथा बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किए भूमि को विक्रय किया गया है, इस कारण भी आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रश्न है, तो नियम 14 (4) अथवा नियम 20 के तहत कोई भी व्यक्ति आवेदन पेश कर सकता है, उसके लिए उसे व्यथित होना अथवा हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। वर्ष 1994 से पूर्व का उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त हो, अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम इन्द्रानगर नगरपरिषद् पाली की पैरा–फैरी सीमा के अन्तर्गत आता है, इसलिए उक्त गांव की सम्पूर्ण भूमि ही पैरा–फेरी सीमा में कहलाएगी। चूंकि अपीलाण्ट को जो आवंटन किया गया है, वह आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है, इसलिए खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। आवंटन नियमों के तहत उसी व्यक्ति को आवंटन किया जा सकता है, जिसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। प्रकरण तकनीकि नहीं होकर पूर्ण रूपेण अवैध आवंटन/नियमन निरस्तीकरण का है, जो विधिवत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से जांच कर दस्तावेजात् का परीक्षण कर जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 1422, आर0आर0डी0 2002 पेज 1, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 117 एवं आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 364 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। ग्राम इन्द्रानगर के खसरा नम्बर 574 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 583 रकबा 4 बीघा तथा खसरा नमबर 594/1 रकबा 15 बीघा भूमि का नियमन अपीलाण्ट संख्या 1 से 6 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 21.12.2004 को किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो नियमन किया गया था, वह राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.09.2001 की पालना में किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण के रूप में भी निरन्तर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण अपीलाण्ट के पक्ष में किए गए प्रश्नगत नियमन को अपास्त करते हुए तहसीलदार पाली को आदेशित किया गया कि वे उक्त विवादित भूमि का कब्जा राज्यहित में प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में भूमि को सिवायचक दर्ज करें। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी पर अपना निरन्तर कब्जा काश्त होना बताया, इस आधार पर जैर अपील आदेश को अपास्त कराते हुए नियमन को बहाल किये जाने का अनुतोष चाहा। इस सम्बन्ध में पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट्स का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त नहीं होकर पृथक पृथक खसरा नम्बरान् की भूमि पर पृथक पृथक रूप से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त था। इसके अतिरिक्त सम्वत् 2055, 2058, 2059 व 2060 में उक्त आराजी पर किसी भी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं था। उक्त सम्वत् अकाल वर्ष रहे हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं किया गया हैं। वर्ष 2004 में अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन किया गया है, जबकि वर्ष 2006 में अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि का विक्रय इकरारनामा निष्पादित किया गया है, जबकि इस समय अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किए गए थे। प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या अपीलाण्ट भूमिहीन कृषक की श्रेणी में परिलक्षित होता है ? इस सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 2 की उप–धारा 3(ख) में भूमिहीन कृषक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है – "भूमिहीन कृषक से तात्पर्य राजस्थान में निवास करने वाले सद्भावी कृषक अथवा खेतीहर मजदूर और जो खेतीहर या व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है और जिसका मुख्य व्यवसाय खेती अथवा खेती पर निर्भर रहने वाला अन्य कोई व्यवसाय है, और ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कहीं भी भूमि धारण नहीं करता हो, और यदि धारण करता हो तो ऐसी भूमि, जिसमें उसे पूर्व में आवंटित की गई भूमि भी सम्मिलित है, नियम 12 में निर्धारित क्षेत्र से कम हो।" इसके परन्तुक में कोई सरकारी कर्मचारी या वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संस्थान के कर्मचारी उसकी पत्नी एवं उसके ऊपर निर्भर बच्चे, भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं माने जावेंगे। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य व्यवसाय कृषि हो एवं अपीलाण्ट सद्भावी कृषक की आज्ञापक शर्तों की पूर्ति करता हो, यह साबित नहीं होता है एवं न ही अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किया, जो अपीलाण्ट को भूमिहीन कृषक की श्रेणी में खड़ा करता हो। विद्वान अभिभाषक द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए है, वे अवश्य ही सम्माननीय है, किन्तु उक्त समस्त ही न्यायिक सिद्धान्त सीधे तौर पर आवंटन के सम्बन्ध में है तथा आवंटन पर ही प्रभावी है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट के पक्ष में भूमि का आवंटन नहीं किया जाकर नियमन किया गया है, जिसके कारण तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होतें है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा भूमि नियमित होने के दो वर्ष के पश्चात ही विक्रय का इकरारनामा निष्पादित किया है, जिसके अनुसार भूमि का कब्जा भी क्रेता को सुपुर्द किया जाना स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 1422 में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, उसके अनुसार भूमि नियमन/आवंटन के 2 वर्षो के भीतर भूमि का विक्रय करने को विधि विरूद्ध माना है, क्योंकि उस समय अपीलाण्ट गैर खातेदार दर्ज थे, इस आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है। उक्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2016 मेवाराम बनाम मानसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2008 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली